प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव
उ0प्र00 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2023

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों मे संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2023/683 दिनांक-20.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए शासनादेश संख्या-I/120293/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120291/2021/71-4099/34/2021 दिनांक 08.12.2021 द्वारा बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम, शासनादेश संख्या-I/120294/2021 /71-4099/34/2021(पार्ट-2) दिनांक 08.12.2021 द्वारा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम तथा शासनादेश संख्या-I/109712 /2021/71-4099/34/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारित किया गया हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त शैक्षणिक सत्र वर्ष-2021-2022 हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/डीम्ड विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) एवं परास्नातक स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0) पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क को ही शैक्षणिक सत्र-2023-2024 हेतु यथावत लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र2023-24 में निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले नये मेडिकल कालेज (एस0के0एस0 मेडिकल कालेज, मथुरा) एवं परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने वाले निजी संस्थानों (कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा व यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज) का शुल्क वर्ष 2021-22 की भांति औसत के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार लिए गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by आलोक कुमार
Date: 02-08-2023 16:22:11
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमंण्डी चौराहा, लखनऊ
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,सम्बन्धित मेडिकल/डेण्टल कालेज/डीम्ड विश्वविद्यालय, द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र एम0ई0-3/2021/2384, दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (एम0बी0बी0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है:-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय य

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी, परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय। यद्यपि वास्तविक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। तद्नुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
iv. जहाँ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
v. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना

औचित्यपूर्ण पाया गया।

vi. नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर में प्रथम बार एम0 बी0 बी0 एस0 में प्रवेश लिये जाने के कारण प्रथम बार शुल्क का निर्धारण किया जाना है। चूंकि इस कालेज में वर्ष-2019-2020 की बैलेंस सीट उपलब्ध नहीं हो सकती अतः इस कालेज का शुल्क औसत के आधार पर निर्धारित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

vii. समिति द्वारा पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों के संदर्भ में नीट परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों द्वारा कालेजवार प्राप्त औसत अंको का भी संज्ञान लिया गया है। कालेजवार प्राप्त औसत अंकों को ***Standardise*** किया गया है।

viii. इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा बैलेंस सीट में दी गयी विभिन्न सूचनाओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अनुमन्यता से अधिक खर्च यथा वेतन मद में अधिक वृद्धि बैलेंस सीट में अधिक ब्याज, अवमूल्यन आदि अमान्य खर्चों को disallow करते हुए बैलेंस सीट को वेटेज प्रदान किया गया। शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0, दिनांक 06.11.2020 द्वारा निर्धारित फीस तथा अमान्य खर्चो को disallow करने के पश्चात् बैलेंस सीट के आधार पर फीस का आगणन करते हुए दोनों के शुल्क में आ रहे अन्तर को भी ***Standardise*** किया गया है। कालेजवार ***Standardise*** औसत नीट स्कोर एवं ऊपर उल्लिखित ***Standardise*** शुल्क के अन्तर को जोड़कर कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर निकाला गया है। कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर के आधार पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले कालेजों के बीच 8 प्रतिशत, जो अधिकतम है, को स्टेटिस्टिकल नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आवंटित किया गया है।

ix. कालेजों में सभी प्रकार की सुविधाओं के उन्नयन एवं उच्चकोटि की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से ***Quality Council Of India*** द्वारा प्रदान किये जाने वाले ***NABH (National Accreditation Board For Hospitals & Healthcare Providers)*** प्रमाण पत्र धारक कालेजों को, निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में 01 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त लाभ दिये जाने का विनिश्चय किया गया।

x. बिन्दु-(viii) एवं (ix) के आधार पर कालेजवार प्राप्त हो रहे प्रतिशत के अनुरूप शुल्क की वृद्धि किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कालेजों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्थाओं का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों

द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एम0 बी0 बी0 एस0 हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क धनराशि रूपए) (में
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बरेली।	13,73,760
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा।	12,69,319
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	11,85,133
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	11,70,612
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	12,80,037
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, हापुड़।	11,81,671
7	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली	13,00,251
8	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, वाराणसी।	13,21,492
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	12,66,579
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, सीतापुर।	10,77,229
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	11,21,162
12	के0 डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	12,28,240
13	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	12,28,406
14	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़	13,09,968
15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ।	11,03,932
16	टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	12,99,199
17	नोएडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, गौतमबुद्धनगर।	11,92,211
18	जी0 एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	11,78,892
19	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	11,59,610
20	यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, प्रयागराज।	11,90,401
21	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मेरठ। (एम0 एस0 वाई0 मेडिकल कालेज, मेरठ)	12,19,917
22	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	11,73,856
23	वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	12,10,000
24	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़,गजरौला, अमरोहा।	11,10,508
25	नारायना मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कानपुर	12,14,683

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क के अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. <u>छात्रावास शुल्क-</u>

(ए) नॉन ए0 सी0 - रू0 1,50,000 प्रतिवर्ष।

(बी) ए0 सी0 - रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. <u>सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-</u>

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुएः- रू0 3,00,000 (एक बार)।

3. <u>विविध शुल्क-</u> रू0 85,600 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिए गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

I/120293/2021

Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:11:33
Reason: Approved

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चैराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2022

विषयः- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एन0ई0-3/2021/2577, दिनांक 09.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ में स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता मे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पाँच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने से पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्था के प्रतिनिधि के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत इस प्रकार के अन्य निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शासनादेश दिनांक

08.12.2021 द्वारा जिन मानदण्डों का आधार/संज्ञान लेते शुल्क निर्धारित किया गया है उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ के लिए शुल्क निर्धारण हेतु मानदण्ड अपनाते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ के प्रबन्धक/प्रतिनिधि को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 11.01.2022 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्था के पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ द्वारा संचालित स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 का एतद्द्वारा निम्नवत शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क धनराशि रू0 में		
	क्लीनिकल	नॉन क्लीनिकल	
		पैथोलॉजी	अन्य
टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	21,63,946	11,11,700	8,00,000

7- शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य मदों यथा छात्रावास शुल्क, सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य) एवं विविध शुल्क के रूप में निजी क्षेत्र के अन्य मेडिकल कालेजों हेतु शासनादेश दिनांक 08.12.2021 द्वारा शैक्षिणक सत्र 2021-22 के लिए निर्धारित शुल्क की भांति टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस0) में शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निम्नवत निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. <u>छात्रावास शुल्क</u>-

(ए) नॉन ए0 सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 2,50,000 प्रतिवर्ष।

(बी) ए0 सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 3,00,000 प्रतिवर्ष।

(सी) नॉन ए0 सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।

(डी) ए0 सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 2,10,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. <u>सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)</u>-

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 5,00,000 (एक बार)।

3. <u>विविध शुल्क</u>- रू0 1,28,400 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोसियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत

वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by अशोक कुमार
Date: 17-01-2022 17:31:
Reason: Approved
(अशोक कुमार)
विशेष सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बाँसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0 प्र0 लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2021/2384, दिनांक 18.11.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर स्तरीय (एम0डी0/एम0एस0) पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/ 71-4-2020-37/2015 टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा-10 में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये है:-

10- (1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति, कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाए मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित प्राविधानों तथा धारा-10(1)(छः) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानदण्डों को संज्ञान में लेते हुए शुल्क निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।
ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय। यद्यपि वास्तविक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। तद्नुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।
iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।
iv. जहॉ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।
v. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण पाया गया।
vi. शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ, जी0 एस0 मेडिकल

कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़, के0 डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा, कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा, श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा, वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहाँपुर तथा नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ में एम0 डी0/एम0 एस0 पाठ्यक्रम प्रथम बार प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः इन कालेजों के लिए भी शुल्क का आगणन अन्य सभी एम0 डी0/एम0 एस0 संचालित कालेजों के शुल्क के औसत के आधार पर किये जाने का विनिश्चय किया गया।

टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ में केवल नॉन क्लीनिकल विषय के पाठ्यक्रम संचालित हैं। दिनांक 22.10.2021 को आयोजित समिति की बैठक में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा नॉन क्लीनिकल विषय का शुल्क, पूर्व निर्धारित शुल्क को ही यथावत रखे जाने का अनुरोध किया गया। तद्नुसार नॉन क्लीनिकल विषय का शुल्क यथावत रखे जाने का विनिश्चय किया गया।

vii. समिति द्वारा पूर्व से संचालित मेडिकल कालेजों के संदर्भ में नीट यू0 जी0 परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों द्वारा कालेजवार प्राप्त औसत अंको का भी संज्ञान लिया गया है। कालेजवार प्राप्त औसत अंकों को ***Standardise*** किया गया है।

viii. इसके अतिरिक्त संस्थाओं द्वारा बैलेंस सीट में दी गयी विभिन्न सूचनाओं का समिति द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अनुमन्यता से अधिक खर्च यथा वेतन मद में अधिक वृद्धि बैलेंस सीट में अधिक ब्याज, अवमूल्यन आदि अमान्य खर्चों को disallow करते हुए बैलेंस सीट को वेटेज प्रदान किया गया। एम0 डी0/एम0 एस0 के सन्दर्भ में शासनादेश दिनांक 09.03.2019 एवं शासनादेश दिनांक 31.08.2020 द्वारा निर्धारित फीस तथा अमान्य खर्चों को disallow करने के पश्चात् बैलेंस सीट के आधार पर फीस का आगणन करते हुए दोनों के शुल्क में आ रहे अन्तर को भी ***Standardise*** किया गया है। कालेजवार ***Standardise*** औसत नीट स्कोर एवं ऊपर उल्लिखित ***Standardise*** शुल्क के अन्तर को जोड़कर कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर निकाला गया है। कम्पोजिट ***Standardise*** स्कोर के आधार पर न्यूनतम एवं अधिकतम स्कोर प्राप्त करने वाले कालेजों के बीच 8 प्रतिशत, जो अधिकतम है, को स्टेटिस्टिकल नार्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर आवंटित किया गया है।

ix. कालेजों में सभी प्रकार की सुविधाओं के उन्नयन एवं उच्चकोटि की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से ***Quality Council Of India*** द्वारा प्रदान किये जाने वाले ***NABH (National Accreditation Board For Hospitals & Healthcare Providers)*** प्रमाण पत्र धारक कालेजों को, निर्धारित किये जाने वाले शुल्क में 01 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त लाभ दिये जाने का विनिश्चय किया गया।

x. बिन्दु-(viii) एवं (ix) के आधार पर कालेजवार प्राप्त हो रहे प्रतिशत के अनुरूप शुल्क की वृद्धि किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5- उक्त अधिनियम की धारा-10(2) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सभी मेडिकल कालेजों के

प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 22.10.2021 में सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट, इन्फ्लेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्था के अवस्थित होने के स्थान आदि के आधार पर उनकी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किया जाय। फीस नियमन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उनका संज्ञान लिया गया है।

6- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के निम्नलिखित मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर (एम0 डी0/एम0 एस0)पाठ्यक्रम हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

क्र.सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (धनराशि रूपए में)		
		क्लीनिकल	पैथोलॉजी	नॉन क्लीनिकल
1	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बरेली।	25,09,957	13,51,477	9,65,384
2	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा। (शारदा विश्वविद्यालय)	25,40,649	13,68,025	9,77,116
3	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	14,43,744	10,80,000	8,64,000
4	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	25,24,901	13,59,562	9,71,116
5	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	23,23,197	12,50,889	8,93,521
6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, हापुड़।	20,22,143	10,88,846	8,45,377
7	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली	23,09,009	12,43,216	8,88,056
8	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी।	21,12,517	11,37,509	8,35,482
9	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर।	21,35,358	12,37,024	8,83,589
10	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, सीतापुर।	20,40,950	10,98,973	8,20,359
11	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	20,30,961	10,93,571	8,18,235
12	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	20,74,900	11,17,300	8,00,000
13	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड	20,63,010	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
14	टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	आवश्यकता नहीं	11,11,700	8,00,000

15	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
16	जी0 एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
17	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मेरठ। (एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज, मेरठ)	आवश्यकता नहीं	12,02,199	8,80,186
18	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं
19	वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	21,63,946	12,02,199	8,80,186
20	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़,गजरौला, अमरोहा।	21,63,946	12,02,199	आवश्यकता नहीं
21	के0 डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	21,63,946	आवश्यकता नहीं	आवश्यकता नहीं

7- फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0 डी0/एम0 एस0) में शैक्षणिक शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. <u>छात्रावास शुल्क-</u>

(ए) नॉन ए0 सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 2,50,000 प्रतिवर्ष।
(बी) ए0 सी0 सिंगिल आकूपेन्सी - रू0 3,00,000 प्रतिवर्ष।
(सी) नॉन ए0 सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 1,75,000 प्रतिवर्ष।
(डी) ए0 सी0 डबल आकूपेन्सी - रू0 2,10,000 प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. <u>सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-</u>

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 5,00,000 (एक बार)।

3. <u>विविध शुल्क-</u> रू0 1,28,400 प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:12:20
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चैराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

I/252965/2022

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2022

विषयः-के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा में स्वीकृत MD PATHOLOGY पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/पी0जी0-2022/2328 दिनांक 07.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा में MD PATHOLOGY पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा में स्वीकृत MD PATHOLOGY पाठ्यक्रम का शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षण शुल्क रू0 12,02,199/- निर्धारित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
Signed by अनिल कुमार सिंह
Date: 26-12-2022 14:38:10
Reason: Approved

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रबन्धक, के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 08 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2021/1712 दिनांक 11-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस0) पाठ्यक्रम की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/71-4-2020-37/2015 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में फीस नियतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा

प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आहूत बैठक दिनांक 21.08.2021 में निजी क्षेत्र के सभी डेण्टल कालेजों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संस्था के प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण के सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित मानदण्डों तथा निम्नलिखित आधारों का संज्ञान लिया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेण्टल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। तदनुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के

आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

iv. जहॉ UG & PG दोनों Courses संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए, हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

v. समिति द्वारा विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मॅहगाई के दृष्टिगत होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढॉचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 01 वर्ष का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण किया जाय।

vi. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण माना।

vii. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

viii. रामा डेण्टल कालेज, कानपुर में मुद्रा स्फीति की दर से फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

ix. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

x. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयड़ा में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयडा हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया जाना उचित पाया गया।

xi. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ाया

जाना उचित पाया गया।

6- संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श, उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित मानदण्डों, प्रस्तर-5 में उल्लिखित आधार तथा फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित डेन्टल कालेजों के स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए उनके सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रं/सं	संस्था का नाम	निर्धारित शुल्क (रू0 में)
1	सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ।	3,42,000/-
2	आई0 डी0 एस0 डेण्टल कालेज, बरेली।	2,93,000/-
3	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	3,60,000/-
4	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	2,93,000/-
5	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी	2,93,000/-
6	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	2,93,000/-
7	पूर्वान्चल डेण्टल कालेज, गोरखपुर	2,93,000/-
8	के0 डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा	3,28,000/-
9	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गजियाबाद	3,13,000/-
10	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	3,13,000/-
11	आई0 टी0 एस0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा।	3,65,000/-
12	आई0 टी0 एस0 डेण्टल कालेज, गाजियाबाद।	3,84,000/-
13	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ	3,13,500/-
14	स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा।	3,65,000/-
15	बी0 बी0 डी0 डेण्टल कालेज, लखनऊ	3,48,000/-
16	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद।	3,65,000/-
17	महाराना प्रताप डेण्टल कालेज, कानपुर	3,21,000/-

18	आई0 डी0 एस0 टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गजियाबाद।	3,38,000/-
19	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	2,93,000/-

7- स्नातक स्तरीय (बी0 डी0 एस0) पाठ्यक्रम हेतु हास्टल शुल्क, सिक्योरिटी डिपोजिट एवं विविध शुल्क के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-1791/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0 दिनांक 06-11-2020 की व्यवस्था यथावत रहेगी।

उक्त व्यवस्था निम्नवत है:-

1- छात्रावास शुल्क-

(ए) नॉन ए0 सी0 - रू0 0.85 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0 सी0 - रू0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक होगा तथा वेरायटी को होगा।

2- सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुएः- रू0 3.00 लाख (एक बार)।

3- विविध शुल्क- रू0 0.40 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित हैं।उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वाराकोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

8- शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एक- मुश्त अग्रिम के रूप में जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्त प्रस्तर-6 एवं 7 में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0 प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 07-12-2021 11:13:5
Reason: Approved
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्य एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 27 अक्टूबर, 2021

विषयः- निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर (एम0डी0एस0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3/2021/1712 दिनांक 11-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातकोत्तर (एम0डी0एस0) पाठ्यक्रम की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 की विज्ञप्ति संख्या-1622/71-4-2020-37/2015 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3- उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में फीस नियतन के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान हैं:-

10-(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप

(दो) उपलब्ध अवसंरचना

(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत

(चार) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय

(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय

(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक।

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिये नहीं होगी।

4- उक्त अधिनियम 2006 की धारा-10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से फीस नियमन समिति की आहूत बैठक दिनांक 21.08.2021 में निजी क्षेत्र के सभी डेण्टल कालेजों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संस्था के प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण के सभी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

5- सम्बन्धित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श के उपरान्त उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) में उल्लिखित मानदण्डों तथा निम्नलिखित आधारों का संज्ञान लिया गया:-

i. आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम-2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही डेण्टल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

ii. संस्था की वर्ष 2019-20 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क आंकलन 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाना औचित्यपूर्ण पाया गया है। तदनुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2021-22 की फीस का निर्धारण किया जाना उचित होगा। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

iii. Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

iv. जहाँ UG & PG दोनों Courses संचालित है एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहाँ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए, हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

v. समिति द्वारा विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि भविष्य में बढ़ती मँहगाई के दृष्टिगत होने वाले सम्भावित व्यय वृद्धि को विचार में रखते हुए शुल्क ढाँचा का निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा। अतः संस्था के कुल व्यय भार में से आपरेटिंग कास्ट पर वर्तमान में प्रचलित Inflation की दर के आधार पर 07 प्रतिशत के हिसाब से आगामी 01 वर्ष का औसत मूल्य निकालकर शुल्क निर्धारण किया जाय।

vi. समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण माना।

vii. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है,

अतः इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गजियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ायी जा सकती है।

viii. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग ा जियाबाद हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ायी जा सकती है।

ix. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयड़ा में प्रवेशित अभ्यर्थी भी अन्य कालेजों की अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते है, अतः आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज ग्रेटर नोयडा हेतु फीस लगभग 07 प्रतिशत बढ़ायी जा सकती है।

x. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ में प्रवेशित अभ्यर्थी अन्य कालेजों के अपेक्षा उच्च रैंकधारी होते हैं। मेरठ के आस-पास के क्षेत्रों जैसे गाजियाबाद, एन 0 सी0 आर 0, बरेली आदि में स्थापित डेण्टल कालेजों की फीस रू0 8.00 लाख के आस-पास है। पूर्व में कालेज प्रशासन द्वारा शिक्षण शुल्क का प्रस्ताव उपलब्ध न कराये जाने के कारण न्यूनतम शुल्क का निर्धारण कर दिया गया था। उक्त कालेज में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की फीस रू0 4,64,900/- निर्धारित थी, जो कि अन्य कालेजों की अपेक्षा न्यूनतम है। अतः सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ की फीस रू0 6,00,000/- निर्धारित की जा सकती है।

6- संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श, उ 0 प्र 0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम-2006 की धारा-10(1) में उल्लिखित मानदण्डों, प्रस्तर-5 में उलिखित आधार तथा फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 21.08.2021 के क्रम में की गयी संस्तुतियों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित डेन्टल कालेजों के स्नातकोत्तर (एम 0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए उनके सम्मुख अंकित शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रं/सं	संस्था का नाम	निर्धारित अधिकतम शुल्क प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष (रू0 में)
1.	सरदार पटेल डेण्टल कालेज, लखनऊ	7,90,500/-
2.	आई 0 डी0 एस 0 डेण्टल कालेज, बरेली	8,06,400/-
3.	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद	8,59,700/-
4.	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	5,90,000/-
5.	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी	5,42,100/-
6.	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	7,07,100/-
7.	के0 डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा	6,70,400/-
8.	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद	7,65,000/-
9.	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	8,03,300/-
10.	आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोयडा	8,16,000/-

11. आई 0 टी0 एस 0 डेण्टल, कालेज, गाजियाबाद		8,10,000/-
12. सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ		4,97,500/-
13. स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, ग्रेटर नोयडा		7,69,400/-
14. बी0 बी0 डी0 डेण्टल कालेज, लखनऊ		7,26,900/-
15. कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद		6,72,300/-
16. आई 0 डी0 एस 0 टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद		7,67,600/-
17. सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ		6,00,000/-

7- स्नातकोत्तर (एम 0 डी0 एस 0) पाठ्यक्रम हेतु हास्टल शुल्क, सिक्योरिटी डिपोजिट एवं विविध शुल्क के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-342/71-4-2020-37/2015 टी0 सी0 दिनांक 17-03-2020 की व्यवस्था यथावत रहेगी।

उक्त व्यवस्था निम्नवत है:-

<u>स्नातकोत्तर (एम 0 डी0 एस 0)</u>

1- छात्रावास शुल्क-

(ए) नॉन ए 0 सी0 सिंगल आकूपेन्शी - रू0 1.25 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए 0 सी0 सिंगल आकूपेन्शी - रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।

(सी) नॉन ए 0 सी0 डबल आकूपेन्शी - रू0 87,500.00 प्रतिवर्ष।

(डी) ए 0 सी0 डबल आकूपेन्शी - रू0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है।

<u>2- सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)-</u>

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:- रू0 3.00 लाख (एक बार)।

<u>3- विविध शुल्क- रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष।</u>

उक्त शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित हैं।

8- संबंधित डेण्टल कालेज उपर्युक्त प्रस्तर-6 एवं 7 में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

9- उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

10- उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय का कड़ाई से

अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 26-10-2021 14:08:48
Reason: Approved
(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव

संख्य एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव